13/9/2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम प्रभाति पुत्र गोपाल दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का सही नाम प्रभातिया पुत्र गोपाल है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम प्रभाति पुत्र गोपाल गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व ग्राम श्यामपुरा की खाता सं0 52 की वर्तमान जमाबन्दी जिसमें सही नाम है व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश किये जिनमें प्रार्थी के पिता का सही नाम है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह बहादुर पुत्र प्रभातिया, भागीरथ पुत्र लादूराम स्वामी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता खातेदार का नाम प्रभाति पुत्र गोपाल गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी के पिता का सही नाम प्रभातिया पुत्र गोपाल है की पुष्टि संवत जमाबन्दी खाता सं0 52 व गवाहान बहादुर पुत्र प्रभातिया, भागीरथ पुत्र लादूराम स्वामी के शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
श्यामपुरा	खाता सं0 51	प्रभाति पुत्र गोपाल	प्रभातिया पुत्र गोपाल

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद तामील व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:37:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner